रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 अप्रैल, 1997/29 चैत्र, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 1997

संख्या एल०एल०आर०-डी(6)-4/97-लेजिस्लेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख 18-4-1997 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अभिधृति

1101-राजपत्र/97-19-4-97—1,322. (1379) मूल्य : 1 रुपया।

और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1997 (1997 का 5) को वर्ष 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव

1997 का अधिनियम संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1997

(राष्ट्रपति द्वारा तारीख 18 अप्रैल, 1997 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश टैनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज ऐक्ट, 1972 (1974 का 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1997 है ।

(2) यह अठाईस दिसम्बर, 1996 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज ऐक्ट, 1972 (1974 का 8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (2) में "person", शब्द के स्थान पर शब्द "landowner" रखा जाएगा ।

धारा 118 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 118 में—

(i) उप-धारा (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"*Explanation.*—For the purpose of this sub-section, the expression "transfer of land" shall not include—

(*i*) transfer by way of inheritance;

(*ii*) transfer by way of gift made or will executed, in favour of any or all legal heirs of the donor or the testator, as the case may be;

(*iii*) transfer by way of lease of land or building in a municipal area ;

but shall include—

(*a*) a benami transaction in which land is transferred to an agriculturist for a consideration paid or provided by a non-agriculturist ; and

(*b*) an authorisation made by the owner by way of special or general power of attorney or by an agreement with the intention to put a non-agriculturist in possession of the land and allow him to deal with the land in the like manner as if he is a real owner of that land.";

(ii) उप-धारा (2) में—

(क) खण्ड (*d*) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (*dd*) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(*dd*) a person who, on commencement of this Act, worked and continues to work for gain in an estate situated in Himachal Pradesh; for the construction of a dwelling house, shop or commercial establishment in a municipal area, subject to the condition that the land to be transferred does not exceed—

(*i*) in case of a dwelling house .. 500 square metres; and

(*ii*) in case of a shop or commercial establishment .. 300 square metres:

Provided that such person does not own any vacant land or a dwelling house in a municipal area in the State;" ;

(ख) खण्ड (*e*) में, "or a statutory body", शब्दों से पहले, "or a Company incorporated under the Companies Act, 1956, for which land is acquired through the State Government under the Land Acquisition Act, 1894" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे; 1956 का 1 1894 का 1

(ग) खण्ड (*f*) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(*f*) a person who has become non-agriculturist on account of—

(*i*) acquisition of his land for any public purpose under the Land Acquisition Act, 1894 ; or

(*ii*) vestment of his land in the tenants under this Act; or" ;

(घ) प्रथम परन्तुक में, "clause (*g*)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर "clause (*dd*) or clause (*g*)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ङ) द्वितीय परन्तुक में, "non-agriculturist", शब्द के पश्चात्, "who purchases land under clause (*dd*) or" शब्द, कोष्ठक और अक्षर जोड़े जाएंगे;

(iii) उप-धारा (3-B) में, "and after making such enquiry as he thinks fit either personally or through an officer working under him" शब्दों का लोप किया जाएगा और अन्त में, "and the order made by the Divisional Commissioner shall be final and conclusive" शब्द जोड़े जाएंगे;

(iv) उप-धारा (3-C) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3-C) (*a*) The Financial Commissioner may, either on a report of a Revenue Officer or on an application or of his own motion,

call for the record of any proceedings which are pending before, or have been disposed of by, any Revenue Officer subordinate to him and in which no appeal lies thereto, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order made therein and may pass such order in relation thereto as he may think fit.

(*b*) No order shall be passed under this sub-section which adversely affects any person unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard ." ;

(v) उप-धारा (3-D), में तीसरी बार आए "appeal" शब्द के स्थान पर, "revision" शब्द रखा जाएगा;

(vi) उप-धारा (4), के पश्चात् विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण-I के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और उसके अन्त में "but shall not include a built up area in the municipal area" शब्द जोड़े जाएंगे ; and

(vii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण-I के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण-II जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"*Explanation-II.*—For the purpose of this section the expression "municipal area" means the territorial area of a Nagar Panchayat, Cantonment Board, Municipal Council or a Municipal Corporation constituted under any law for the time being in force.".

1996 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन और व्यावृत्तियां।

4. (1) हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1996 (1996 का 4) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी ।